प्रकरण संख्या 6/2014 प्रा.प. दायर तारीख:— 29.05.14

फेसल तारीख:— 30.12.14

1. श्री थावरा पिता गेबा मीणा नि. धुलेव त. ऋषभदेव जिला. उदयपुर राज.

— प्रार्थीगण —

<u>बनाम</u>

1. श्री बाबु पिता रूपा मीणा नि. धुलेव त. ऋषभदेव जिला उदयपुर राज.
2. श्री शंकर पिता धुला मीणा नि. धुलेव त. ऋषभदेव जिला उदयपुर राज.
3. श्रीमती पुंजी पत्नी शंकर मीणा नि. धुलेव त. ऋषभदेव जिला उदयपुर राज.
4. श्रीमती प्रेमिला पत्नी बाबु मीणा नि. धुलेव त. ऋषभदेव जिला उदयपुर राज.
5. राजस्थान सरकार भूमिधारी तहसीलदार ऋषभेदव जिला उदयपुर राज.

—अप्रार्थीगण—

उपस्थित :—

1. श्री पुनम चन्द अहारी प्रार्थी अधिवक्ता

2. श्री पंकज राठौड अप्रार्थी अधिवक्ता

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 — 2</u>

<u>एवं धारा 151 जा. दी. धारा 212 आर.टी. एक्ट</u>

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा धुलेव की आ. न. 3341/0.07,/3342/0.18,/3345/0.15,/कुल किता 0.40 हेक्टर कृषि भूमि वादी को प्रकरण संख्या 644/2006 आवंटन दिनांक 21.12.2006 के द्वारा आवंटन होकर जमाबन्दी संवत 2064 से 6067 मे खाता नमबर 1 नया एवं पुराना 505 पर होकर नामान्तकरण संख्या 854 से दर्ज है तथा नाजायज कब्जे की कार्यवाही भी सन् 1996 से फर्दम—फर्दम हुई है इसमे भी यह सिद्व होता है कि बाद वर्णित भूमि पर कब्जा काश्त निरन्तर प्रार्थी का चला आ रहा है उसी आधार पर निरन्तर कब्जा होने से प्रार्थी को आवंटनहुई थीवर्णित जमीन मे विपक्षीगण संख्या 1 से 4 तक का कोई संबंध नही है प्रार्थी और विपक्षी संख्या 1 के पिता रूपा सगे भाई थे प्रार्थी और विपक्षी संख्या 1 के पिता रूपा के पिता गेबा था जो कालूलाल सेवक (ब्राम्हण) के घर हाली (नोकर) था जो खेती बाडी करता था वही खाना पीना होता था बाद मे गेबा की भी मृत्यु हो गई और प्रार्थी के भाई रूपा की भी मृत्यु हो गई तो रूपा की औरत विपक्षी संख्या 3 विपक्षी संख्या 2 को पेट मे लेकर शंकर पिता धुला पिता धुला मीणा निवासी धुलेव के नाते चली गई और शंकर पिता धुला निवासी धुलेव ले गया विपक्षी संख्या 1 को पेट मे नाते लेकर गई थी एवं विपक्षी न. 2—3 पति पत्नी के रूप मे रह रहे है। सभी विपक्षीगण आज तक साथ —साथ रह रहे है। और कालू लाल सेवक और प्रार्थीगण के पिता गेबा एवं भाई रूपा की मृत्यु हो गई है। और प्रार्थी थावरा अविवाहित अकेला रहा तो राजु सेवक पुत्र कालुलाल ने घर से निकाल दिया और हाली व नोकर नही रहा जब से वर्णित आराजीयात बिलानाम सरकार मे नाजायज कब्जा काश्त काबिज होकर के इस वाद वर्णित जमीन पर निवास कर रहा है काफी मेहनत मजदूरी कर भूमि को आबाद किया भूमि पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है इसलिये उक्त भूमि दिनांक 21.06.2006 को आवंटन होकर खातेदार काश्तकार है जिस पर मकान बनाये तथा कुआ खोद रखा है भुमि के चारो तरफ थुअरो की बाड लगा कर बाउड्री बना रखी है विपक्षीगण का कहना है कि उक्त भुमि पेतृक है इसी कारण से आये दिन झगडा फसाद करते है तथा जमीन हडपने की नियत से प्रार्थी को डराते धमकाते है तथा जान से मारने की धमकी भी देते है। विपक्षीगण ने 26.10.98 को झगडा किया जिसकी कार्यवाही पुलिस ने की थी । प्रार्थी अकेला है जो बलपूर्वक प्रार्थी कर भूमि हडपना चाहते है प्रथम द्रष्टया मामला एवं सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को हो रही है इसलिये विपक्षीगण को असल वाद के निस्तारण तक जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है जवाब प्रतिवादी (विपक्षीगण) द्वारा प्रस्तुत किया प्रार्थी के प्रार्थन पत्र पेश किया गया है जिसकी कोई कानूनन ओचित्यता नही है प्रार्थी का वाद ग्रस्त

अप्रार्थीगण को बेदखल कर दिया तो वे बेघर हो जायेगे यह भूमि बिलानाम होकर विपक्षगण के पातीं बंटवारे मे आई है प्रार्थी ने गलत तरीके से अपने नाम आवंटन करा दी है प्रार्थी कानुनन सहारा लेकर विपक्षीगण को मौके से भगाना चाहता है प्रार्थी ने गैर कानुनी तौर पर यह प्रार्थन पत्र पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है तथा कब्जे के अभाव मे भी यह प्रार्थन पत्र खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी प्रार्थी की बहस अपने प्रार्थना पत्र अनुसार रही तथा अप्रार्थी की अपने जवाब अनुसार रही हमने विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया प्रस्तुत दस्तावेज से प्रथम द्रष्टया मामला एवं सुविधा सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे साबित होता है विपक्षीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे कोई ऐसा ठोस सबुत पेश नही किया है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी के पक्ष मे तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा असल वाद के निस्तारण तक जारी की जाती है कि मौजा धुलेव की आ.न. 3341/0.07, 3342/0918, 3345/0.15 कुल किता 3 रकबा 0.40 हेक्टर कृषि भूमि मे किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करे नही प्रार्थी के उपयोग– उपभोग मे किसी प्रकार का नुकसान पहुचावे उक्त कृत्य स्वंय अथवा उसके परिजनो,नौकरो,ऐजेन्टो से भी नही करावे।

यह आदेश मेरे द्वारा लिखायर जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से नाम की जावे तथा मुल दावे के साथ संलग्न की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
ऋषभदेव, जिला-उदयपुर